

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची में

सी०एम०पी० संख्या-405/2019

1. अनिल नायक
2. नागेश्वर नायक
3. आशीष नागमणि नायक
4. करमचंद नायक
5. सन्नी कुमार नायक

..... याचिकाकर्तागण

बनाम

1. झारखंड राज्य
2. उपायुक्त, रांची
3. जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारी, राँची
4. कार्यपालक अभियंता, खूंटी
5. अंचलाधिकारी, नामकुम

..... उत्तरदातागण

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री सुजीत नारायण प्रसाद

याचिकाकर्ता के लिए: श्री रंजन कुमार, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिए: श्री अश्विनी भूषण, वरिष्ठ एस०सी०-III के ए०सी०

आदेश सं० 03: दिनांक 13 सितम्बर, 2019

यह सिविल विविध याचिका, रिट याचिका संख्या 4672/2018 की बहाली के लिए दायर की गई है, जिसे दिनांक 16.04.2019 के आदेश का अनुपालन नहीं करने के लिए 30.04.2019 को खारिज कर दिया गया है।

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि यद्यपि त्रुटियों को दूर करने के लिए कदम उठाए गए थे, लेकिन सद्भावपूर्ण गलती के कारण, त्रुटियों को दूर करने की अनिवार्य अवधि समाप्त हो गई है और इस प्रकार अनुल्लंघनीय आदेश का अनुपालन न करने के लिए, रिट याचिका खारिज कर दी गई है, इसलिए रिट याचिका को उसकी मूल फाइल में बहाल करने के लिए प्रार्थना की गई है अन्यथा याचिकाकर्ता को अपूरणीय हानि और क्षति होगी।

प्रत्यर्थियों के विद्वान वकील ने, ऐसी प्रस्तुतियों पर आपत्ति नहीं करते हुए, निवेदन किया है कि उचित आदेश पारित किया जा सकता है।

यह न्यायालय पक्षकारों के विद्वान वकील को सुनने के बाद और याची के विद्वान वकील द्वारा दी गई पूर्वोक्त निवेदनों पर विचार करने के बाद कि त्रुटियों को दूर करने के लिए कदम उठाए गए हैं, रिट याचिका, डब्ल्यू0पी0 (सी) संख्या-4672/2018 को अपनी मूल फाइल में बहाल करके इस याचिका में की गई प्रार्थना को अनुमति देना उचित समझता है। सिविल विविध याचिका का निपटारा किया जाता है।

(सुजीत नारायण प्रसाद, न्याया0)

अलंकार/-